न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मा नम्बर 46/2024

दायर दिनांक–01.05.2024

1. महावीर सैनी
2. किशोर कुमार
3. ओमप्रकाश सैनी पुत्रगण रामूराम उर्फ रामलाल निवासी रामपुरा चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– आवेदकगण

– :: बनाम ::–

1. जितेन्द्र कुमार
2. योगेश कुमार
3. दिनेश कुमार पुत्रगण रामूराम उर्फ रामलाल निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
4. डॉ नरेश पुत्र रामूराम उर्फ रामलाल निवासी रामपुरा चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू राज0 हाल निवासी अस्थी रेग विभाग रविन्द्र टेगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर जिला उदयपुर राज0
5. रामूराम उर्फ रामलाल पुत्र मालाराम निवासी रामपुरा चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
6. इन्द्रा पुत्री रामूराम उर्फ रामलाल स्त्री टीकूचंद सैनी निवासी वार्ड नं0 30 कानू वाला कुआं चुंगी नम्बर 3 गुडा रोड़ उदयपुरवाटी जिला निमकाथाना राज0
7. कविता पुत्री रामुराम उर्फ रामलाल स्त्री रामकरण सैनी निवासी वार्ड नं0 53 सिंगोदिया की ढाणी हमीरी रोड़ मोडा पहाड़ के पास झुंझुनू जिला झुंझुनू
8. कुशुम पुत्री रामुराम उर्फ रामलाल स्त्री अलोक सैनी निवासी आर.जेड–सी.डी./37 ब्लांक नियर गिरधारी लाल ठेकेदार महावीर इन्कलेव, दिल्ली
9. सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा उदयपुरवाटी जरिये शाखा प्रबंधक तहसील उदयपुरवाटी जिला निमकाथाना
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री अनिल कुमार सैनी
वकील अनावेदक :– श्रीमती स्नेहलता वर्मा

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक 17.07.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम रामपुरा चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 949/742 रकबा 1.89 है0, खसरा नम्बर 950/743 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 952/802 रकबा 0.75 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.79 है0 स्थित है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 के पूर्वज लादू की खातेदारी की जमीन रही है। लादू की खातेदारी व कब्जे की जमीन की स्थिति को भली भांती समझने के लिए उक्त लादू की वंशावली प्रा0 पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज है।

उक्त वंशावली के अनुार लादू के एक लड़का मालाराम उर्फ माल्या हुआ उक्त लादू की पुरानी पैमाइस सम्वत 1992–93 से पहले देह[illegible] इस कारण विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड पैमाइस से बनाये जाने के समय यह जमीन उक्त लादू के पु[illegible] माल्या के नाम से दर्ज रही। उक्त मालाराम उर्फ माल्या इस जमीन क[illegible] था उक्त मालाराम उर्फ माल्या इस जमीन का खातेदार काश्तका[illegible] काबिज रहा।

मालाराम उर्फ माल्या के दो ल[illegible] 6 लगायत 8 [illegible] पिता रामूराम उर्फ रामलाल तथा अप्रार्थी [illegible] हुए। उक्त मालाराम उर्फ म[illegible] का देहान्त होने उसकी खातेदारी विवादित जमीन व अन्य जमीनों के खातेदार काश्तकार उक्त रामूराम उर्फ रामलाल व घासीराम हुये। मालाराम उर्फ माल्या की कुल खातेदारी की जमीन का खाता विभाजन अप्रार्थी नं0 5 रामूराम उर्फ रामलला व उसके भाई घासीराम के बीच होने पर विवादित जमीन अप्राझर्थी नम्बर 5 रामूराम उर्फ रामलाल के हिस्से मे आयी तथा अन्य जमीने अप्रार्थी नं0 5 रामूराम उर्फ रामलाल के हिस्से में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:25 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

आयी तथा अन्य जमीने अप्रार्थी नं0 5 के भाई घासीराम के हिस्से में आयी। अप्रार्थी नं0 5 व घासीराम अलग अलग अपने अपने हिस्से में आयी जमीनों के खातेदार काश्तकार रहे व काबिज रहे। घासीराम के हिस्से में आयी जमीन के बाबत कोई विवाद नही है।

उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैत्रिक भूमि है। पैत्रिक खातेदारी की भूमि में नियमानुसार पुत्र व पुत्रियों का अपने पिता के बराबर बराबर हिस्सा होकर पिता सहित पुत्र व पुत्रियों सीी पैतुक सम्पति के कोपासनर्स होते है। इस प्रकार उक्त भूमि में अप्रार्थी सं0 5 के साथ साथ उनके पुत्र व पुत्रियों का भी का भी उक्त भूमि में जन्म से ही अधिकार है। जिसके अनुसार प्रत्येक का उक्त भूमि में 1/11 हिस्सा है। इस प्रकार जमाबंदी में अप्रार्थी सं0 5 अकेले का नाम पिता होने के कारण गलत रूप से दर्ज हुआ है।

अप्रार्थी सं0 5 80 वर्ष से अधिक आयु के है जिन्हे वृद्वा अवस्था के कारण पूर्णई रूप से अच्छे बुरे के बाबत होश हवास नही है। अप्रार्थी नं0 1 लालची व चालाक चतुर स्वभाव का व्यक्ति है। अप्रार्थी नं0 1 को जमीन जेर बहस उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी सं0 5 के अकेले के नाम से बने होने की जानकारी थी। इसलिए अप्रार्थी सं0 1 ने उसका नाजायज फायदा उठाते हुए भूमि खसरा नम्बर 952/802 रकबा .75 है0 वाके ग्राम रामपुरा बाबत अप्रार्थी सं0 5 की अंगुठा निशानी लगवाकर उपपंजीयक नवलगढऋ से दिनांक 21.12.2021 को पंजीकृत करवा लिया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 अपने 1/11 हिस्से के अनुसार काश्त व कब्जा कर उपयोग उपभोग कर रहे है।

उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अकेले अप्रार्थी सं0 5 के नाम दर्ज है जो प्रार्थीगण के हक अधिकारों के विपरित इबनइस्यों व नल एण्ड वोईड है। इसप्रकार अप्रार्थी सं0 5 की ओर से निष्पादित किया गया उपहार पत्र भी बिना अधिकार के होने से कानूनी रूप से अप्रार्थी सं0 1 को कोई हक अधिकार पैदा नही हुए है। उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 की पैतृक संपति होने होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 इस संपति के कोटिनेन्ट है तथा अपने अपने हिस्से के अनुसार इस जमीन को शामील में काश्त करते है व काबिज है। इसलिए सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण दौराने दावा प्रार्थीगण के इस जमीन में अपने हिस्से की जमीन के उपयोग उपभोग में बाधा डालेगें या इस जमीन को अन्य किसी प्रकार से रहन बैय कर देगें या अन्य किसी प्रकार से इस जमीन को वेस्ट एण्ड डेमेज कर देंगे तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव नही हो सकेगी।

इसलिए प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम रामपुरा चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 949/742 रकबा 1.89 है0, खसरा नम्बर 950/743 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 952/802 रकबा 0.75 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.79 है0 भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से की जमीन के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नही करें तथा ना ही रहन बैय करें।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण सं0 01 लगायत 05 व 7, 8 की ओर से वकील श्री स्नेहलता वर्मा उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस पेश किया कि :– वादी ने गलत सजरा खानदान दर्शित किया है। उक्त भूमि रामूराम के पिता मालाराम को जागीदारें द्वारा उपहार मे दी थी। उक्त भूमि मालाराम की स्वअर्जित भूमि है। उक्त भूमि मालाराम ने अपने पुत्रों रामूराम व मालाराम को उपहार स्वरूप दे दी। उक्त भूमि उत्तरदाता की स्वअर्जित संपति है। रामूराम का मालाराम के देहांत हो जाने के बाद से कब्जा काश्त चला आ रहा है। रामूराम वृद्व हो चुका है जिसकी सेवा सुश्रुषा उत्तरादाता जितेन्द्र, योगेश, दिनेश व नरेश ही करता है। भूमि ख0 नं0 949/742 व 950/743 पर उत्तरदाता रामूराम करीब 38 वर्षो से कब्जा काश्त है। अब रामूराम वृद्व होने पर अपनी भूमियों में बंटाई पर उत्तरदाता जितेन्द्र योगेश दिनेश नरेश काश्त करवा कर अपना गुलर बसर करता है। तथा भूमि खसरा नम्बर 952/802 पर उत्तरदाता जितेन्द्र का कब्जा काश्त है तथा लांट बांट करता चला आ रहा है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है। प्रार्थीगण ने कभी भी रामुराम का भरण [illegible] आवश्यकताओं की पूर्ति नही की प्रार्थीगण ने कभी भी सामाजिक रीति रिवाजों की पालना नही [illegible] प्रार्थी[illegible] ने उत्तरादातागण को हैरान परेशान करने के लिए प्रा0 पत्र पेश किया है। उत्तरदाता रामूराम [illegible] अपना भला बुरा समझता है। रामूराम ने जितेन्द्र के नाम उपहार पत्र दिनांक 21.12.2021 [illegible] उपपंजीयक नवलगढ के समक्ष राजीखुशी अपनी स्वेच्छा से तस्दीक व तकमील [illegible] भूमि में प्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है। उपहार पत्र तस्दीक होने के बाद पटवारी हल्का के पास [illegible]न्तकरण के लिए पेश किया ग्राम पंचायत व पटवार हल्का ने मौके पर जांच कर कब्जा काश्त के अनुसार उत्तरदाता जितेन्द्र के नाम नामांतकरण दर्ज हुआ यदि प्रार्थीगण को उक्त नामांतकरण से किसी प्रकार की कोई आपत्ति या ऐतराज था तो वह नामांतकरण की अपील जरूर करते लेकिन प्रार्थीगण ने आज तक कोई चाराजोही नही की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:25 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. जे. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार नही है इस कारण प्रार्थीगण को खाता विभाजन का वाद पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। उक्त उपहार पत्र दिनांक 21.12.2021 को उपपंजीयक नवलगढ़ के समक्ष तस्दीक व तकमील हुआ चुकि रजिस्टर्ड दस्तावेज का नल एण्ड वोईड व शून्य व बेअसर व निष्प्रभावी सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है कानूनन राजस्व न्यायालय को उपहार पत्र नल एण्ड वोईड व शून्य बेअसर व निष्प्रभावी करने का अधिकार प्राप्त नही है। इसकारण प्रा0 पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण का न ही अर्जेन्ट नेचर का मामला है। तथा ही प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन है तथा ना ही अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को हो रही है। अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को न होकर जबाबदातागण को हो रही है। इसलिए जबाब देहन्दा गण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कतई न्यायोचित नही है।

<u>अतिरिक्त कथन</u>

प्रार्थीगण ने अपने वाद में कही भी खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा नही चाही है बिना खातेदारी उदघोषणा के वाद पेश करने का कोई कूननी अधिकार प्राप्त नही है क्योंकि प्रार्थी ने अपने वाद पत्र में कहीं भी खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने का कथन किया है। ना ही अपने वाद पत्र में कही पर भी अंकित नही किया है कि हमें खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इस प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित हुए बगैर प्रार्थीगण को बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी सं0 1 व 5 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। तथा उत्तरदाता का नाम पहले से ही राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अभिलिखित खातेदार के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। भूमि खसरा नं0 952/802 की खातेदारी उत्तरदाता व अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है चुंकि प्रार्थी की स्वीकृति के अनुसार उक्त खसरान् का रिकॉर्ड प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही है चुंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 52 में बंटवारे का वाद दर्ज खातेदार को लाने का हक अधिकार है कानूनन दीगर व्यक्ति को बंटवारे का वाद पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। अतः जबाब प्रा0 पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम रामपुरा चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 949/742 रकबा 1.89 है0, खसरा नम्बर 950/743 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 952/802 रकबा 0.75 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.79 है0 भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण सं0 1 लगायत 8 की पैत्रिक संपति है जिसमें प्रत्येक का 1/11 –1/11 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अनावेदक संख्या 5 रामूराम उर्फ रामलाल के अकेले गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है जिसका फायदा उठाकर अनावेदक संख्या 1 द्वारा अनावेदक संख्या 5 से भूमि खसरा नम्बर 952/802 का समंपूर्ण हिस्सा जरिये उपहार पत्र के द्वारा अपने नाम तस्दीक करवा लिया। अतः गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर बने उपहार पत्र को निरस्त किया जावे तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ताफैसला दावा उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जबाब बहस में वकील अनावेदकगण ने कथन किया कि उक्त भूमि अनावेदक संख्या 5 की स्वअर्जित संपति है। उक्त भूमि का अनावेदक संख्या 5 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है।**

आवेदकगण का मुख्य कथन है कि विवादग्रस्त भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण की पैतृक संपति है जिसमें आवेदक अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहता है तथा आवेदक [illegible] को ताफैसला दावा उक्त विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण ने उक्त विवादग्रस्त भूमि के पैत्रिक संपति होने तथा इस पैतृक संपति में उनका हक हिस्सा होने का कथन करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0 पत्र पेश किया है। आवेदकगण के प्रा0 पत्र में दर्ज किये गये त[illegible] का निर्णय मूलवाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्यों के आधार पर होना है। मूलवाद के निर्णय किये जाने तक अनावेदकगण द्वारा उक्त भूमि का बेचान या स्थानांतरण किये जाने पर वादों की बहुलता होगी तथा आवेदकगण को क्षति होगी। अतः मूलवाद के निर्णय किये जाने तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अनावेदकगण को अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:25 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (प्र.क्षे.)
नवलगढ़

निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में तय किये जाते है।

- **अपूरणीय क्षति** :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में होने से तथा आवेदक विवादग्रस्त भूमि में आवेदक के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदकगण के पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा **वाके ग्राम रामपुरा चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 949/742 रकबा 1.89 है0, खसरा नम्बर 950/743 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 952/802 रकबा 0.75 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.79 है0** भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 25.06.2024 को कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रैक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:25 IST
Reason: SelfAttested